

95

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर सागर कैम्प
फॅ० ३३३७- फॅ० १६

प्रिय - ३००७ - I - १६

ਮਪੇਨਦਰ ਸਿੰਹ ਤਨਾਂ ਸ਼ਵੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨਸਿੰਹ ਤੌਮਰ

निवासी ढिमरपुरा तह. ओरछा,

जिला टीकमगढ़(म.प्र.)

आवेदक

// विरुद्ध //

मप्र शासन

अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 159 / बी-121 / 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:-


1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक के बावा को ग्राम ववेडी जगल स्थित भूमि ख.नं. 37 जुज रकवा 2.023 हें 0 का पट्टा प्रदान किया गया था तथा आवेदक का विधिवत कब्जा निरंतर रूप से चला आ रहा है किंतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण विधिवत आवेदन विवारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा पांचसाला एवं वर्तमान कम्प्यूटर में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किंतु आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड का सुधार नहीं किए जाने के आंधार पर आवेदक द्वारा न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष समस्त दरतावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।
 2. यह आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु सम्पूर्ण गूल दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की गई थी। तथा आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा के समक्ष वर्ष 05.02.2007 तथा 2009 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की थी। इस कारण प्रस्तुत आवेदन को अवधि बाह्य मान्य किए जाने का कोई आधार नहीं था किंतु प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना सरसरी तौर पर प्रकरण का निराकरण करने द्वा आठेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर


अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R. 3507-H/16... जिला ...टीकमंगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-9-2016	<p>1— आवेदक की ओर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्षों के तर्क श्रवण किए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 159/बी-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-16 से विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक के बावा को ग्राम वडेडी जंगल स्थित भूमि ख.नं. 37 जुज रकवा 2.023 हेठो का पट्टा प्रदान किया गया था तथा आवेदक का विधिवत कब्जा निरंतर रूप से चला आ रहा है किंतु राजस्व रिकार्ड में दर्ज न होने के कारण विधिवत आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा पांचसाला एवं वर्तमान कम्प्यूटर में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर तथा पट्टा की मूल प्रति एवं दायरा रजिस्टर की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की थी किंतु आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड का सुधार नहीं किया गया है इसी आधार पर न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष समर्त दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए इसी आदेश के विरुद्ध निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।</p> <p>3— उन्होंने यह भी तर्क किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन राजस्व अभिलेख में दर्ज करने हेतु सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की गई थी। तथा आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार औरछा के समक्ष वर्ष 05.02.2007 तथा 16.09.2009 को प्रस्तुत आवेदन की प्रति प्रस्तुत की थी। इस कारण प्रस्तुत आवेदन को अवधि बाह्य मान्य किए जाने का कोई आधार नहीं था आवेदक के बाव को 15.04.1974 में विधिवत रूप से पट्टा जारी किए जाने के उपरांत, तभी से आवेदक के बावा एवं वर्तमान में आवेदक काबिज चला आ रहा है उनके द्वारा कृषि भूमि को</p>	 

R - 3007. I/16 (जनवरी २०१६)

- ३ -

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>आवाद कर उपजाऊ बनाकर उन्नत किया है काफी श्रम-धन खर्च किए जाने के उपरांत भी राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज न होने से वह शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं। जिसके संबंध में सम्पूर्ण दस्तावेज निगरानी के साथ प्रस्तुत करते हुए उन्होंने निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है।</p> <p>4— आवेदक के तर्कों पर विचार किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक पर्वत सिंह को नायब तहसीलदार ओरछा जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र.47 / अ-19 / 1969-70 आदेश दि.18.02.70 के तहत पट्टा जारी किया गया था दायरा पंजी वर्ष 1973-74 में पर्वत सिंह का नाम क्र. 47 पर दर्ज होने की पुष्टि पाई जाती है। आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार के समक्ष वर्ष 05.02.2007 एवं 16.09.2009 को राजस्व अभिलेख में नाम उल्लेखित किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है। इस कारण कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण का निराकरण न कर निरस्त किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ।</p> <p>5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.16 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार ओरछा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण क्रमांक 47 / अ-19 / 1969-70 आदेश दिनांक 18.02.1970 के परिपालन में आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख एवं कम्प्यूटर अभिलेख में दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 <p>सदस्य</p>

h
1/4